

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2022—चैत्र 18, शक 1944

खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2022

क्रमांक.-एफ-19-7-2021-बारह-1.- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

## अध्याय-एक प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 है.

- (2) इनका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।  
 (3) ये इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

## 2. परिभाषाएं.-

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :-
- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67);
- (ख) “प्राधिकृत व्यक्ति” से अभिप्रेत है, संचालक, संयुक्त संचालक, उप-संचालक, भारसाधक अधिकारी (उडनदस्ता) तथा उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर संबंधित जिले का कलक्टर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाला अतिरिक्त कलक्टर, राज्य प्रशासनिक सेवा का अतिरिक्त कलक्टर तथा संयुक्त कलक्टर, डिप्टी कलक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, संबंधित जिले के कलक्टर कार्यालय के खनि शाखा का प्रभारी अधिकारी, खनि अधिकारी, हीरा अधिकारी, सहायक खनि अधिकारी, खनि निरीक्षक और खनि सर्वेक्षक या सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अन्य व्यक्ति;
- (ग) “वाहक” से अभिप्रेत है, रेलवे वैगन, आकाशी रज्जु मार्ग (एरियल रोप वे), कन्वेयर बेल्ट को छोड़कर ऐसा कोई भी साधन, जिसके द्वारा किसी खनिज/खनिजों का या उसके उत्पादों का, उसके प्राप्त करने के स्थान से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक यांत्रिकी युक्ति से परिवहन किया जाता है;
- (घ) “संचालक” से अभिप्रेत है, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश तथा “संयुक्त संचालक”, “उप-संचालक”, “खनि अधिकारी”, “हीरा अधिकारी”, “सहायक खनि अधिकारी”, “खनि निरीक्षक” तथा “खनि सर्वेक्षक”, से अभिप्रेत है संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के संबंधित अधिकारी;

- (ड.) “प्ररूप” एवं “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप एवं अनुसूची;
- (च) “अनुज्ञप्ति” से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन प्रदान की गई खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति;
- (छ) “अनुज्ञप्तिधारी” से अभिप्रेत है, मुख्य खनिज का परिवहन करने, भण्डारण करने तथा व्यापार करने और गौण खनिज/खनिजों या इनके उत्पादों का परिवहन करने, भण्डारण करने, व्यापार करने तथा निर्माण कार्य में उपयोग करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान की गई खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति का धारक;
- (ज) “अनुज्ञापन प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, कलक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाला अतिरिक्त कलक्टर या ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार, खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे;
- (झ) शब्द “खनिज उत्पाद” से अभिप्रेत है ईट, कबेलू, चूना, परिष्कृत पत्थर, ब्लाक, स्लेब, टाइल, चिप्स, रोडा पत्थर, स्टोन डस्ट;
- (ञ) “प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा” से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा में प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थ संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के राजपत्रित अधिकारी या कर्मचारी एवं इनकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा नामांकित ऐसा कोई अधिकारी;

- (ट) “राजस्व मण्डल”, “संभागायुक्त”, “कलक्टर” तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाला “अतिरिक्त कलक्टर”, राज्य प्रशासनिक सेवा का “अतिरिक्त कलक्टर”, “संयुक्त कलक्टर” तथा “डिप्टी कलक्टर”, “तहसीलदार”, “नायब तहसीलदार” के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं;
- (ठ) “वैज्ञानिक जांच” से अभिप्रेत है, बिना किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के अनन्य रूप से शैक्षणिक तथा अनुसंधान के प्रयोजन के लिए खनिजों तथा चट्टानों के भू-वैज्ञानिक, खनिजिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए की गई कोई जांच;
- (ड) “स्टाकयार्ड” से अभिप्रेत है, कोई स्थान, जहां खनिज/खनिजों और/या उसके/उनके उत्पादों को पट्टा क्षेत्र से बाहर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु भण्डारण या स्टोक किया जाता है;
- (ढ) “अभिवहन पास” से अभिप्रेत है, किसी खनिज/खनिजों और/या उसके/उनके उत्पादों का पट्टा क्षेत्र से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वाहक द्वारा विधिपूर्ण परिवहन के लिए, विनिर्दिष्ट पोर्टल से जारी किया गया ई-अभिवहन पास;
- (ण) शब्द “खनिज” “संयुक्त अनुज्ञप्ति”, तथा “खनन पट्टा” का वही अर्थ होगा, जैसा कि अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किया गया है;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियमों में उनके लिए समनुदेशित किया गया है।

### 3. प्रतिषेध.-

- (1) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन विधिमान्य अभिवहन पास रखे बिना, किसी खनिज/खनिजों या/तथा उसके/उनके उत्पादों का, उनके प्राप्त करने के स्थान से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी वाहक द्वारा, न तो परिवहन करेगा और न परिवहन कराएगा:

परन्तु किसी/किन्हीं खनिज/खनिजों का या उसके/उनके उत्पादों का किसी यांत्रिकी युक्ति, अर्थात् रेल्वे वैगन, आकाशीय रज्जु मार्ग (एरियल रोप-वे) या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पट्टा क्षेत्र से सीधा परिवहन किए जाने की दशा में कोई अभिवहन पास अपेक्षित नहीं होगा।

- (2) (एक) कोई भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के बिना, खान क्षेत्र के बाहर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु किसी मुख्य खनिज/खनिजों का, परिवहन, भण्डारण, व्यापार नहीं करेगी;
- (दो) कोई भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के बिना, गौण खनिज/खनिजों या उसके/उनके उत्पादों का खान क्षेत्र के बाहर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु परिवहन, भण्डारण, व्यापार तथा निर्माण कार्य में उपयोग नहीं करेगा;
- (तीन) शासकीय निर्माण कार्य/रहवासी कालोनी, बहुमंजिला इमारत के विकास में, शासकीय ठेकेदार/बिल्डर द्वारा विधिमान्य खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति के बिना गौण खनिज/खनिजों या उसके/उनके उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाएगा;
- (चार) मैंगनीज तथा कोयला खनिज के लिए, इनकी खदानों से पचास किलोमीटर की परिधि में कोई खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी;
- (पांच) स्वयं के उद्योग में मैंगनीज/कोयला खनिज के उपयोग हेतु खण्ड (चार) के उपबंध लागू नहीं होंगे;

### 4. अपवाद.- इन नियमों में की कोई भी बात,-

- (1) किसी अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हारों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित

जनजाति के सदस्यों की सहकारी सोसायटी द्वारा परम्परागत साधनों से क्वेलू, बर्तन या ईट बनाने के लिए, उस क्षेत्र से, जो कि ग्राम सभा, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर इस प्रयोजन के लिए विनिश्चित और निर्धारित करे, मिट्टी के परिवहन या भण्डारण को;

- (2) गौण खनिजों के ऐसे परिवहन या भण्डारण को, जो कि विक्रय के लिए नहीं, परन्तु कुओं के निर्माण या मरम्मत के प्रयोजन के लिए या अन्य कृषि कार्यों के लिए या ग्रामों में निवास करने वाले कृषकों, ग्रामीण कारीगरों तथा मजदूरों के निवास गृहों के सुधार अथवा निर्माण के प्रयोजन से किया गया हो;
- (3) ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकारी भूमि से उत्खनन किए गए गौण खनिजों के संबंधित पंचायतों द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों के लिए परिवहन या भण्डारण को;
- (4) वैज्ञानिक जांचों के प्रयोजन के लिए खनिजों तथा चट्टानों के परिवहन तथा भण्डारण को;
- (5) घरेलू निर्माण में भी गौण खनिज के उपयोग को;

लागू नहीं होगी।

### अध्याय-दो

#### खनिजों का परिवहन तथा वाहक पंजीयन

5. खनिजों तथा उसके उत्पादों का परिवहन.- (1) पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति, उत्खनन पट्टा, उत्खनन अनुज्ञा तथा व्यापारिक खदान का धारक खनिज का परिवहन करने हेतु विनिर्दिष्ट पोर्टल से अग्रिम रायल्टी भुगतान के आधार पर अभिवहन पास जारी करेगा।
- (2) आनलाईन पोर्टल से जारी किए जाने वाले अभिवहन पास की समस्त प्रविष्टि खनि रियायत धारक द्वारा की जाएगी। खनिज परिवहन के प्रत्येक वाहन में इस प्रकार जारी किए गए अभिवहन पास का प्रमाण आवश्यक रूप से रखा जाएगा।

- (3) (एक) खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति का धारक, स्टोकयार्ड से किसी खनिज या उसके उत्पादों का परिवहन करने के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल से प्रत्येक फेरे (ट्रिप) के लिए अभिवहन पास जारी करेगा;
- (दो) आनलाईन पोर्टल से जारी किए जाने वाले अभिवहन पास की समस्त प्रविष्टि खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति धारक द्वारा की जाएगी। खनिज परिवहन के प्रत्येक वाहन में इस प्रकार जारी किए गए अभिवहन पास का प्रमाण आवश्यक रूप से रखा जाएगा;
- (तीन) शासकीय कार्य/अन्य कार्य के लिए प्रदत्त खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति स्थल से खनिज का परिवहन नहीं करेगा तथा उन्हें अभिवहन पास अभिप्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

#### 6. वाहक का पंजीयन.-

- (1) खनिजों के परिवहन हेतु वाहक के पंजीयन के लिए आवेदन, प्ररूप-1 में विनिर्दिष्ट पोर्टल पर आनलाईन किया जाएगा।
- (2) आवेदन के साथ परिवहन विभाग का विधिमान्य पंजीयन अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक वाहक के लिए प्ररूप-1 में पृथक आवेदन अपेक्षित होगा।
- (3) वाहक का पंजीयन, प्ररूप-2 में जारी किया जाएगा:

परन्तु अन्य राज्यों के परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों के इन नियमों के अधीन पंजीयन के लिए पंजीयन के मूल अभिलेख का कलक्टर कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाना, अनिवार्य होगा।

- (4) सम्बन्धित कार्यालय द्वारा वाहकों के पंजीयन का अभिलेख, प्ररूप-3 में विनिर्दिष्ट पोर्टल पर आनलाईन रखा जाएगा।
- (5) खान तथा खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति का धारक उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा पंजीकृत वाहकों से खनिजों का परिवहन करेगा या करवाएगा।

#### अध्याय-तीन

#### जाँच चौकियों की स्थापना एवं तौल

7. जाँच चौकियों की स्थापना और अभिवहन किए जा रहे खनिजों का तोलन तथा निरीक्षण.- (1) यदि राज्य सरकार विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना खनिजों के परिवहन तथा भण्डारण पर रोक लगाने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक

समझती है तो वह लिखित में आदेश द्वारा राज्य के भीतर किसी स्थान या किन्हीं स्थानों पर जाँच चौकियां स्थापित करने का निदेश दे सकेगी। किसी जाँच चौकी के स्थापित किए जाने को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा:

परन्तु जिले में किसी भी स्थान पर जाँच हेतु संबंधित जिले के कलक्टर द्वारा अस्थाई व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए राजपत्र में किसी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

- (2) कोई प्राधिकृत व्यक्ति किसी खनिज या उसके उत्पाद को ले जा रहे किसी वाहक की किसी भी स्थान पर जाँच कर सकेगा तथा वाहक का भारसाधक व्यक्ति, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर, उसे खनिज परिवहन हेतु वाहक का पंजीयन तथा अन्य ब्यौरे जैसे देयक (बिल) या रसीद या परिदान टिप्पण आदि प्रस्तुत करेगा। अभिवहन पास तथा वाहन के पंजीयन का सत्यापन विनिर्दिष्ट पोर्टल अथवा मोबाईल ऐप के माध्यम से किया जा सकेगा।
- (3) उप-नियम (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक जाँच चौकी पर या किसी भी स्थान पर, प्राधिकृत व्यक्ति खनिज या उसके उत्पाद का परीक्षण करने के लिए वाहक को रोक सकेगा खनिज परिवहन कर रहे यान का वाहन चालक खनिज या उसके उत्पाद से संबंधित समस्त अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा। अभिवहन पास तथा वाहन के पंजीयन का सत्यापन विनिर्दिष्ट पोर्टल अथवा मोबाईल ऐप के माध्यम से किया जा सकेगा।
- (4) यदि प्राधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि परिवहन किए जा रहे खनिज या उसके उत्पाद अभिवहन पास के अंतर्गत नहीं आते हैं या यह पाया जाए कि अभिवहन पास के साथ छेड़छाड़ की गई है या किसी अभिवहन पास के बिना परिवहन किया जाना पाया जाता है या अभिवहन पास में उल्लिखित समय एवं गंतव्य की दूरी अनियमित है, तो प्राधिकृत व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह वाहक के साथ खनिज या उसके उत्पादों को अभिग्रहीत कर ले।
- (5) प्राधिकृत व्यक्ति, अभिग्रहीत किए गए ऐसे खनिज या उसके उत्पाद तथा वाहक की एक रसीद उस व्यक्ति को देगा, जिसके कब्जे या नियंत्रण से वह अभिग्रहीत किया गया है।

- (6) प्राधिकृत व्यक्ति, वाहक के प्रभारी व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन करने वाले वाहक को निकटतम पुलिस थाने तक या किसी अन्य स्थान तक ले जाए। यदि वाहक का चालक, खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन करने वाले वाहक को निकटतम पुलिस थाने तक या उस स्थान तक जिसके लिए कहा गया है ले जाने से इन्कार करता है तो प्राधिकृत व्यक्ति, खनिज या उसके उत्पादों के साथ वाहक को अभिग्रहीत कर सकेगा और उसे अपने कब्जे में ले जा सकेगा।
- (7) यदि प्राधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि, अभिवहन पास में अभिलिखित वजन सही नहीं है, तो वह वाहक के चालक को यह निर्देश देगा कि वह खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन कर रहे वाहक को निकटतम तुला चौकी तक ले जाए।

#### अध्याय-चार

#### खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति का प्रदाय करना तथा उसका नवीकरण

#### 8. खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए आवेदन.-

- (1) खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन, प्ररूप-4 में विनिर्दिष्ट पोर्टल पर आनलाईन किया जायेगा।
- (2) अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसके नवीकरण के आवेदन के लिए मात्र 100 रूपए के मूल्य के न्यायालय शुल्क को पोर्टल में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संदत्त किया जाएगा।
- (3) अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा:
- (क) अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रूपए पाँच हजार केवल राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अधीन शासकीय खजाने में जमा करना होगी.-

0853	-	खान तथा खनिज
102-सी	-	खनिज रियायत फीस, भाड़ा तथा स्वामित्व (रायल्टी)
800	-	अन्य प्राप्तियां
002	-	गौण खनिजों से प्राप्तियां, जिसमें जुर्माना, समपहरण सम्मिलित है:

परन्तु यदि आवेदक, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है तो वह केवल रूपए पाँच सौ अप्रतिदेय शुल्क, उसी रीति में जमा करेगा।

- (ख) संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट के खनिज शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किया आदिनांक खनन की कोई बकाया न होने का प्रमाण पत्र। उस दशा में, जबकि आवेदक एक भागीदारी फर्म है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है ऐसा प्रमाण पत्र, यथास्थिति, फर्म के समस्त भागीदारों द्वारा या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के समस्त सदस्यों द्वारा दिया जाएगा:

परन्तु यदि किसी व्यक्ति के अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह कथन करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि आवेदक राज्य में कोई खनि रियायत/और/या खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता है और न ही उसने ऐसी अनुज्ञप्ति धारण की थी, तो उस व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं होगा कि वह उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे:

परन्तु यह और कि ऊपर उपखण्ड (ख) के अधीन उक्त प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किए जाने से वह व्यक्ति उन खनन शोध्यों का भुगतान करने के दायित्व से उन्मोचित नहीं होगा, जो कि उक्त व्यक्ति द्वारा, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सरकार को देय पाए जाते हैं,

- (ग) आवेदक द्वारा या आवेदक के साथ किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से व्यापारी अनुज्ञप्तियों के ब्योरे दर्शाने वाला एक शपथ पत्र;
- (घ) जहां भूमि आवेदक के स्वामित्व की न हो, इस आशय का एक शपथ पत्र कि आवेदक ने खनिज/खनिजों और/या उसके उत्पादों का भण्डारण तथा व्यापार करने के लिए सतही अधिकार प्राप्त कर लिया है या स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है:

परन्तु यह कि जहां भूमि, राज्य सरकार के स्वामित्व की हो, वहां ऐसा कोई शपथ पत्र आवश्यक नहीं होगा;

- (ड.) ऐसे क्षेत्र के, जिसका स्टॉक यार्ड के रूप में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, जहां आवेदक खनिज/खनिजों या उसके उत्पादों का भण्डारण तथा व्यापार करने का आशय रखता है, नक्शों तथा नवीनतम राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रति;
- (ब) गौण खनिज के निम्नलिखित उपयोग के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (एक) औद्योगिक उपयोग के लिए-उद्योग विभाग का वैध पंजीयन/उद्योग के स्थान के ब्यौरे/तैयार किए जाने वाले उत्पाद।
- (दो) शासकीय निर्माण कार्य में उपयोग के लिए-ठेकेदार का पंजीयन/निर्माण एजेन्सी का कायदेश/निर्माण की अवधि/उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक गौण खनिज की मात्रा के ब्यौरे/निर्माण कार्य स्थल के ब्यौरे।
- (तीन) रहवासी कालोनी/बहुमंजिला इमारत के निर्माण के लिए-प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई कालोनाईजर की अनुज्ञप्ति/निर्माण स्थल के ब्यौरे/कालोनी विकसित करने हेतु अनुज्ञा/उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक गौण खनिज की मात्रा के ब्यौरे।
9. आवेदक की मृत्यु हो जाने पर अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की प्रास्थिति.- जहां किसी आवेदक की जिसने अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने या नवीकरण के लिए आवेदन किया हो, अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण किए जाने का आदेश जारी करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहां अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन, आवेदक के विधिक वारिस/वारिसों द्वारा किया गया समझा जाएगा।
10. आवेदन की अभिस्वीकृति.- आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट पोर्टल पर आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् कम्प्यूटर जनित पावती प्राप्त होगी।
11. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का रजिस्टर.- अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदनों का रजिस्टर संबंधित जिले के प्रभारी अधिकारी खनि शाखा, या खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी द्वारा प्ररूप-5 में आनलाईन संधारित किया जाएगा।

12. अनुज्ञप्ति का नवीकरण.- अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन, संबंधित जिले के अनुज्ञापन अधिकारी को उस तारीख से, जिस पर उस अनुज्ञप्ति का अवसान होना नियत है, से कम से कम तीन माह पूर्व किया जाएगा:

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि आवेदक उसका यह समाधान कर देता है कि समय पर नवीकरण करने के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करने का उसके पास पर्याप्त कारण है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, विहित की गई समय-सीमा के पश्चात् अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकेगा, बशर्ते नवीकरण करने के लिए आवेदन, अनुज्ञप्ति का अवसान होने के पूर्व दिया गया है।

13. अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन का निपटारा.-

- (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा या अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा और ऐसी अनुज्ञप्ति प्ररूप-6 में जारी करेगा या अनुज्ञप्ति प्रदान करने अथवा उसका नवीकरण करने से इन्कार करेगा, जिसकी सूचना विनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रदान की जाएगी:

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा इन्कार किए जाने के कारणों को लेखबद्ध करने तथा इन्कार करने के कारणों को आवेदक को लिखित में संसूचित किए बिना आवेदित सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने से या उसका नवीकरण करने से इन्कार नहीं करेगा।

- (2) नियम 8 के अधीन प्रस्तुत अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने हेतु कोई भी आवेदन केवल इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जाएगा कि प्ररूप-4 समस्त सारवान् विशिष्टियों सहित पूर्ण नहीं है या नियम 8 में निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न नहीं है।
- (3) जहां यह प्रतीत हो कि आवेदन समस्त सारवान् विशिष्टियों सहित पूर्ण नहीं है या नियम 8 में निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न नहीं है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, सूचना द्वारा आवेदक को सूचित करेगा कि वह अपूर्ण की पूर्ति करे या विलम्ब किए बिना दस्तावेज किसी भी दशा में, आवेदक द्वारा उक्त सूचना (नोटिस) की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के अपश्चात् जैसा भी स्थिति हो, प्रस्तुत करे।

- (4) यदि नियम 12 में निर्दिष्ट समय के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किए गए किसी आवेदन का अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उस तारीख के पूर्व जिसको अनुज्ञप्ति का अवसान होना है, निपटारा नहीं किया जाता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उस पर आदेश पारित किए जाने तक अनुज्ञप्ति की कालावधि ऐसी और कालावधि के लिए बढ़ाई गई समझी जाएगी, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी।
- (5) अनुज्ञापन प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार, ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगा, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।
- (6) अनुज्ञप्ति जो कि इन नियमों के अधीन खनिपट्टा धारी के पक्ष में स्वीकृत है, ऐसी अनुज्ञप्ति पट्टावधि समाप्ति के उपरांत नवीन पट्टाधारी जिसके पक्ष में, नीलामी की प्रक्रिया से पट्टा आवंटित किया गया है, के पक्ष में नियम-8 में वर्णित प्रावधानों के पालन उपरांत स्वमेव अंतरित मान्य होगी।
14. **प्रतिभूति निक्षेप.-** कोई आवेदक, अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों का सम्यक् पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में पच्चीस हजार रूपए की राशि, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने की संसूचना की तारीख से सात दिनों के भीतर उसी रीति में जमा करेगा, जैसा कि नियम 8 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) में विहित किया गया है:
- परन्तु यह कि इन नियमों के लागू होने के दिनांक के पूर्व स्वीकृत अथवा नवीनीकृत अनुज्ञप्ति में प्रतिभूति की अंतर की राशि का भुगतान नियम लागू होने के दिनांक से तीन माह की कालावधि में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। तीन माह की अवधि में प्रतिभूति के अंतर की राशि यदि जमा न होती है तब विलंब पर 24 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।
15. **अनुज्ञप्ति का रजिस्टर.-** अनुज्ञप्तियों के लिए रजिस्टर, खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी या संबंधित जिलों के कलेक्टर कार्यालय की खनि शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्ररूप-7 में आनलाईन रखा जाएगा।
16. **वह कालावधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी या उसका नवीकरण किया जा सकेगा.-** (1) वह अधिकतम कालावधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी, दस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (2) कोई अनुज्ञप्ति उस कालावधि से, जिसके लिए वह मूलतः प्रदान की गई थी, से अधिक की कालावधि के लिए नवीकृत नहीं की जा सकेगी।
- (3) यदि किसी परियोजना हेतु अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जानी है तब परियोजना की कालावधि अनुज्ञप्ति की कालावधि होगी।
- (4) इन नियमों के लागू होने के पूर्व स्वीकृत अनुज्ञप्ति की कालावधि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ाई गई समझी जावेगी।
17. अनुज्ञप्ति की शर्तें.- (1) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, किन्हीं अन्य शर्तों के अतिरिक्त, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी, अर्थात्:-
- (एक) अनुज्ञप्तिधारी, प्ररूप-8 में विहित रजिस्टर में स्टोकयार्ड से प्राप्त और स्टोकयार्ड से भेजे गए खनिज/खनिजों और/या उसके उत्पादों की मात्रा तथा अन्य विशिष्टियां दर्शाते हुए सही एवं विश्वसनीय लेखा रखेगा;
- (दो) अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप-9 में विनिर्दिष्ट पोर्टल में आनलाईन वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा;
- (तीन) अनुज्ञप्तिधारी, स्टोकयार्ड से किसी खनिज या उसके उत्पादों का परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहक (केरियर) के लिए अभिवहन पास जारी करेगा;
- (चार) अनुज्ञप्तिधारी, नियोजित किए गए व्यक्तियों के नाम, राष्ट्रीयता, आयु, लिंग तथा पते का अभिलेख रखेगा;
- (पांच) अनुज्ञप्तिधारी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर, विहित की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा;
- (छह) अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति को,-
- (क) स्टोकयार्ड, जिसमें खनिज संसाधन इकाई, यदि कोई हो, सम्मिलित है, भवन, कार्यालय या किसी संबंधित परिसर में प्रवेश तथा निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

- (ख) स्टोकयार्ड में रखे हुए खनिज/खनिजों और/या उसके उत्पादों के स्टोक सर्वेक्षण, तोलन, माप या नाप करने के लिए अनुज्ञात करेगा;
- (ग) अनुज्ञापतिधारी या किसी अन्य व्यक्ति के, जो उन नियंत्रण रखता हो अथवा उससे संबद्ध हो, के कब्जे में किन्हीं दस्तावेजों, बुक, रजिस्टर या सुसंगत अभिलेख का परीक्षण करने के लिए अथवा उनसे उद्धरण लेने या ऐसे दस्तावेजों, बुक, रजिस्टर या अभिलेख की प्रतियां तैयार करने के लिए अनुज्ञात करेगा;
- (घ) अनुज्ञापतिधारी या ऐसे व्यक्ति को जिसका उस पर नियंत्रण हो, या उनसे संबद्ध हो, परीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा;
- (ङ.) कोई अन्य सुसंगत जानकारी एकत्रित करने के लिए अनुज्ञात करेगा;
- (च) किसी खनिज/किन्हीं खनिजों और/या उसके उत्पादों के नमूने एकत्र करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

(सात) अनुज्ञापतिधारी, अनुज्ञापति को स्टोकयार्ड या उसके व्यापार के सामान्य स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

- (2) सरकार/अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियां.- अनुज्ञापतिधारी द्वारा उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त के भंग किए जाने की दशा में, सरकार/अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापतिधारी को दर्शित करने के लिए किए गए शर्त के भंग के लिए उसे क्यों न दण्डित किए जाए और/या क्यों न अनुज्ञापति रद्द कर दी जाए और यह निर्देश देते हुए सूचना देगा कि वह उक्त सूचना की तारीख से तीस दिवस के भीतर शर्त के भंग का उपचार करे और यदि अनुज्ञापतिधारी ऐसी कालावधि के भीतर समुचित कारण बताने में असफल रहता है या शर्त के भंग का उपचार नहीं करता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञापति पर्यवसित कर सकेगा और/या सम्पूर्ण प्रतिभूति निक्षेप या उसके भाग को सम्पूत कर सकेगा:

परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही, अनुज्ञापतिधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी।

### अध्याय-पाँच

गौण खनिजों का अवैध उत्खनन, खनिजों और उसके उत्पादों का अवैध परिवहन और अवैध भण्डारण करने के लिए शास्ति

18. खनिज के अवैध उत्खनन अथवा खनिज या इसके उत्पाद के भण्डारण के लिए शास्ति.- (1) जहां कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 अथवा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अथवा विभाग द्वारा प्रचालित अन्य कोई नियम अथवा इन नियमों का उल्लंघन कर उत्खनन अथवा भण्डारण करता है या वह किसी और के निमित्त उत्खनन या भण्डारण करता है, वहां वह अवैध उत्खनन या भण्डारण के लिए एक पक्षकार उपधारित किया जाएगा।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित पक्षकार को कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो कि, डिप्टी कलक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यदि यह निर्धारित करेगा कि ऐसा व्यक्ति द्वारा इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन में खनिज का उत्खनन या भण्डारण किया गया है, तब वह, उल्लंघनकर्ता को उत्खनित या भण्डारित खनिज पर रायल्टी का पन्द्रह गुना अर्थशास्ति की राशि अधिरोपित कर प्रशमन कर सकेगा। अधिरोपित अर्थशास्ति की राशि के समतुल्य राशि, पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शास्ति के अतिरिक्त अधिरोपित की जाएगी। अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम कुल शास्ति होगी।
- (3) उप-नियम (2) में यथा उल्लिखित कुल शास्ति पर प्रशमन हेतु उल्लंघनकर्ता को सूचना पत्र जारी की जाएगी। सूचना पत्र में राशि जमा करने हेतु पन्द्रह दिवस की अवधि प्रदान की जाएगी। इस अवधि में उपयुक्त कारणों के आधार पर वृद्धि की जा सकेगी।
- (4) अधिरोपित कुल शास्ति एवं प्रशमन शुल्क रूपए एक हजार का भुगतान होने पर प्रकरण का प्रशमन किया जा सकेगा। कुल शास्ति को जमा करने पर जप्त वाहन, मशीन, औजार आदि मुक्त किया जा सकेगा।
- (5) उप-नियम (4) के अनुसार उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रशमन न किए जाने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार प्रकरण उप-नियम (1) में यथा विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तावित किया जाएगा।

(6) अवैध उत्खनन/अवैध भण्डारण का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उप-नियम (2) में यथा विहित कुल शास्ति, की दुगुनी रकम अधिरोपित की जाएगी। इसके साथ जप्त वाहन, मशीनरी, औजार आदि को, वाहन स्वामी को नियम 21 के उपबंधों के अधीन प्रदान की गई सुपुदगी को निरस्त करते हुए, अधिहरण की जाएगी। अधिहरण वाहन, मशीनरी, औजार आदि को पारदर्शी रीति में निवर्तित किया जाएगा। प्रकरण नियम 21 के अधीन जमा की गई रकम उल्लंघनकर्ता के पक्ष में निर्णित होने पर वापसी योग्य होगी अन्यथा इस जमा रकम की कुल शास्ति में समायोजन की जाएगी।

19. अवैध परिवहन के लिए शास्ति.- (1) जहां कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 अथवा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अथवा विभाग द्वारा प्रचालित अन्य कोई नियम के उल्लंघन कर वैध अभिवहन पास के बिना खनिज का परिवहन करता है, तब ऐसे प्रकरणों में खनिज की रायल्टी का पन्द्रह गुना अर्थशास्ति की राशि कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो कि डिप्टी कलक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी। अधिरोपित अर्थशास्ति के साथ-साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम शास्ति रूप में नीचे यथा उल्लिखित देय होगी :-

अनुक्रमांक	वाहन का प्रकार	पर्यावरण क्षतिपूर्ति
1	ट्रेक्टर ट्राली	25,000/-
2	2 एक्सल (छह पहिया वाहन)	50,000/-
3	डम्पर (हाइड्रोलिक छह पहिया वाहन)	1,00,000/-
4	3 एक्सल (दस पहिया वाहन)	2,00,000/-
5	4-6 एक्सल (दस पहिया वाहन से अधिक)	4,00,000/-

अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम, कुल शास्ति होगी।

(2) उप-नियम (1) में यथा उल्लिखित कुल शास्ति पर प्रशमन हेतु उल्लंघनकर्ता को सूचना पत्र जारी किया जाएगा। रकम जमा करने हेतु सूचना पत्र में पन्द्रह दिवस की अवधि प्रदान की जाएगी। इस अवधि में उपयुक्त कारणों के आधार पर वृद्धि की जा सकेगी।

- (3) उप-नियम (1) के अधीन अधिरोपित कुल शास्ति एवं प्रशमन शुल्क रूपए एक हजार के भुगतान के पश्चात् प्रकरण का प्रशमन किया जा सकेगा। प्रशमन होने के पश्चात् जप्त खनिज एवं वाहन मुक्त किया जा सकेगा।
- (4) उप-नियम (3) के अनुसार उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रशमन नहीं किए जाने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार प्रकरण उप-नियम (1) में यथा विहित प्राधिकारी के समक्ष में प्रचलित किया जाएगा।
- (5) अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उप-नियम (1) में निर्धारित कुल शास्ति, की दुगुनी राशि अधिरोपित की जाएगी। इसके साथ जप्त वाहन को वाहन स्वामी को नियम 21 के उपबंधों के अधीन प्रदान की गई सुपुदगी को निरस्त करते हुए, अधिहरण किया जाएगा। अधिहरण वाहन को पारदर्शी रीति में निवर्तित किया जाएगा। उल्लंघनकर्ता के पक्ष में निर्णय होने पर नियम 21 के अधीन जमा की गई राशि वापसी योग्य होगी, अन्यथा इस जमा रकम की कुल शास्ति में समायोजन किया जाएगा।
- (6) वाहन के स्वामी अवैध परिवहन की दशा में उत्तरदायी होगा।
- (7) यदि प्रकरण का प्रशमन नहीं किया जाता है, तो नियम 6 के अधीन खनिज परिवहन हेतु किया गया पंजीयन निरस्त किया जाएगा।
20. अभिवहन पार-पत्र में दर्ज मात्रा से अधिक मात्रा के लिए शास्ति.- (1) खनिज के परिवहन में अभिवहन पास (ई-टीपी) में अंकित मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर खनिज की अतिरिक्त मात्रा पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति अधिरोपित की जाएगी। अतिरिक्त मात्रा पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि नियम 19 के उप-नियम (1) में विहित वाहन के प्रकार के अनुसार अनुपातिक रूप से देय होगी। अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम कुल शास्ति होगी।

यदि किसी वाहन में अभिवहन पारपत्र में अंकित से अधिक मात्रा का परिवहन पाया जाता है तब पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार होगी :

$$\text{पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम} = \frac{\text{अभिवहन पारपत्र में उल्लिखित मात्रा से अधिक मात्रा}}{\text{अभिवहन पारपत्र में उल्लिखित मात्रा}} \times \text{(नियम 19 के उप-नियम (1) की सारणी में दर्शित वाहन के प्रकार के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम)}$$

**उदाहरण-**

यदि किसी ट्रेक्टर-ट्राली में अभिवहन पारपत्र में खनिज की मात्रा तीन घनमीटर दर्ज है तथा चार घनमीटर का परिवहन किया जा रहा है तब उपरोक्त सूत्र के मान से पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम रूपए 8333/- होगी।

- (2) उप-नियम (1) में, कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो कि, डिप्टी कलक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो द्वारा, यथा विहित कुल शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
- (3) उप-नियम (1) में उल्लिखित कुल शास्ति पर प्रशमन हेतु उल्लंघनकर्ता को सूचना पत्र जारी किया जाएगा तथा रकम जमा करने हेतु सूचना पत्र में पन्द्रह दिवस की अवधि में उपबंधित की जाएगी। इस अवधि में उपयुक्त कारणों के आधार पर वृद्धि की जा सकेगी।
- (4) उप-नियम (1) के अनुसार अधिरोपित कुल शास्ति एवं प्रशमन शुल्क रूपए एक हजार के भुगतान पर प्रकरण का प्रशमन किया जा सकेगा। प्रशमन की दशा में जप्त खनिज एवं वाहन मुक्त किया जा सकेगा।
- (5) उप-नियम (4) अनुसार उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रशमन न किए जाने की स्थिति में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार प्रकरण उप-नियम (2) में यथा विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रचलित किया जाएगा।
- (6) अभिवहन पारपत्र में वर्णित मात्रा से अधिक मात्रा में परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उप-नियम (1) में यथा विहित कुल शास्ति, की दुगुनी रकम अधिरोपित की जाएगी। उल्लंघनकर्ता के पक्ष में निर्णय विनिश्चित होने पर नियम 21 के अधीन जमा की गई रकम वापसी योग्य होगी अन्यथा इस जमा रकम का कुल शास्ति में समायोजन किया जाएगा।

21. **समपहृत वाहन, और मशीनरी आदि की सुपुदर्गी.-** प्रकरण प्रचलन के दौरान अथवा प्रचलन के पूर्व यदि उल्लंघनकर्ता द्वारा समपहृत वाहन, मशीनरी आदि को सुपुदर्गी में दिए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तब अनुसूची-एक में यथा विहित वाहन/मशीनरी की रकम प्राप्त कर, इन्हें वाहन/मशीनरी के स्वामी को सुपुदर्गी में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो द्वारा दिया जा सकेगा। सुपुदर्गी में दिए जाने के पूर्व इस आशय का बंध पत्र प्राप्त किया जाएगा कि जब भी वाहन/मशीनरी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो तब वाहन/मशीनरी स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवधि में वाहन/मशीनरी का विक्रय प्रतिबंधित होगा।
22. **अधिरोपित शास्ति की वसूली.-** नियम 18 के उप-नियम (6), नियम 19 के उप-नियम (5) तथा नियम 20 के उप-नियम (6) के अधीन अधिरोपित कुल शास्ति की राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के उपबंधों के अनुसार संबंधित के विरुद्ध मांगपत्र जारी किया जाएगा। मांगपत्र अनुसार रकम जमा न होने पर नियमानुसार राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) जारी किया जाएगा। इसके पश्चात् भी यदि बकाया राशि जमा नहीं होती तब कुर्की वारंट जारी कर नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
23. **अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, अवैध भण्डारण के मामलों में कार्यवाही.-** जब कभी कोई व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में खनिज का अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन या अवैध भण्डारण करता है या करवाता है, तो कलेक्टर/अपर कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उप संचालक (खनिज प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा/सहायक खनिज अधिकारी/खनि निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी (उड़नदस्ता), अपनी अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित रीति में कार्यवाही करेगा:-
- (1) मौके पर पंचनामा तैयार कर अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन या अवैध भण्डारण का प्रकरण प्रारंभ करना;
  - (2) आवश्यक साक्ष्य एकत्र करना, जिसमें अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन या अवैध भण्डारण की वीडियोग्राफी सम्मिलित की जा सकती है;

- (3) खनिज के अवैध उत्खनन या अवैध भण्डारण या अवैध परिवहन में प्रयोग में लाए गए समस्त औजार, उपस्कर, वाहन समपहृत करना तथा ऐसी समपहृत समस्त खनिज सामग्री को पट्टेदार को अथवा उपयुक्त व्यक्ति को, जिसके कि कब्जे से ऐसे सामग्री समपहृत की गई थी, को ऐसा समाधान कारक वचन पत्र निष्पादित करने पर सुपुर्दगी में देगा कि, जब भी ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाए वह तत्काल प्रस्तुत करेगा।
- (4) यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त वर्णित अधिकारी, संबंधित पुलिस थाने से लिखित में पुलिस सहायता की मांग करेंगे और पुलिस अधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध कराएगा, जो कि खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण को रोकने हेतु आवश्यक हो।
24. जांचकर्ता अधिकारी की शक्तियां.- खनिज के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन या अवैध भण्डारण के मामलों में जांच के दौरान जांच अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां होंगी:-
- (एक) संबंधित व्यक्ति को कथन अभिलिखित कराने के लिए बुलाना।
- (दो) प्रकरण से संबंधित अभिलेख एवं अन्य सामग्री जब्त करना।
- (तीन) संबंधित स्थान में प्रवेश करना तथा मौका निरीक्षण करना।
- (चार) समस्त शक्तियां जो संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी में निहित हैं;
- (पांच) सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को हाजिर करने या शपथ पर उसका परीक्षण करने या कोई दस्तावेज पेश करने को बाध्य करने की यथा विहित समस्त शक्तियां।
- (छह) ऐसे मामलों में जहां अवैध उत्खननकर्ता, परिवहनकर्ता, भण्डारणकर्ता स्थल पर वाहन/मशीन आदि छोड़कर भाग जाते हैं वहां वाहन/मशीन आदि को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने में, किए गये व्यय की वास्तविक राशि की दुगुनी रकम जुर्माने के अतिरिक्त अधिरोपित की जाएगी।

25. पुलिस द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण, परिवहन तथा अभिवहन पारपत्र में उल्लिखित मात्रा से अधिक परिवहन पाए जाने पर कार्रवाई.- खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण, परिवहन तथा अभिवहन पारपत्र में उल्लिखित मात्रा से अधिक परिवहन पाए जाने पर पुलिस द्वारा इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को दी जाएगी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर नियम 23 एवं 24 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करेगा।
26. अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षति रकम का जमा किया जाना.- अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षति रकम नियम 8 के उप-नियम (3) के पैरा (क) में यथा विहित लेखा शीर्ष में जमा की जाएगी।

### अध्याय-छह

#### अपील एवं पुनरीक्षण

#### 27. अपील.-

- (1) इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को प्ररूप-10 में अपील कर सकेगा। अपीलार्थी रूपए एक हजार केवल की फीस नियम 8 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) में यथा विहित लेखा शीर्ष में जमा करेगा तथा प्ररूप-10 के साथ मूल कोषालय चालान संलग्न करेगा:

परन्तु यदि अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है तो वह रूपए एक सौ केवल नियम 8 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) में यथा विहित लेखा शीर्ष में जमा करेगा तथा प्ररूप-10 के साथ मूल कोषालय चालान संलग्न करेगा:

परन्तु यह और कि अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निराकृत की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि इन नियमों के अधीन अधिरोपित कुल शास्ति रकम के 10 प्रतिशत जमा होने पर अपील आवेदन मान्य किया जाएगा। यह रकम अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय होने की स्थिति में वापसी योग्य होगी। यदि निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होता है तब इस रकम का समायोजन कुल अधिरोपित शास्ति में किया जाएगा।

- (2) जहां इन नियमों के अधीन अपील के लिए कोई आवेदन किया जाता है वहां इन नियमों के अधीन कलक्टर द्वारा पारित किए गए आदेश की

अपील प्राधिकारी पुष्टि कर सकेगा, उसे उपान्तरित कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह न्यायसंगत तथा उचित समझे:

परन्तु कोई आदेश किसी हितबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि मामले में उसे प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया गया हो:

परन्तु यह और कि अपील प्राधिकारी किसी भी समय यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, निष्पादन ऐसे समय तक रोका जाए, जैसा कि वह उचित समझे।

## 28. पुनरीक्षण.-

- (1) इन नियमों के अधीन अपील में पारित किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे ऐसा आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर, राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण के लिए प्ररूप-10 में एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति रूपए एक हजार की फीस नियम 8 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) में यथा विहित लेखा शीर्ष में जमा करेगा तथा प्ररूप-10 के साथ मूल कोषालय चालान संलग्न करेगा:

परन्तु यदि पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है तो वह रूपए एक सौ केवल नियम 8 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) में विहित लेखा शीर्ष में जमा करेगा तथा प्ररूप-10 के साथ मूल कोषालय चालान संलग्न करेगा:

परन्तु यह और कि प्रस्तुत पुनरीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निराकृत किया जा सकेगा।

- (2) जहां इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन किया जाता है वहां पुनरीक्षण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपान्तरित कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह न्यायसंगत तथा उचित समझे:

\* परन्तु हितबद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे अपने मामले में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो:

परन्तु यह और कि पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी भी समय यह निर्देश दे सकेगा कि अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का निष्पादन ऐसे समय तक रोक दिया जाए, जैसा कि वह उचित समझे।

29. नियमों में संशोधन - इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन प्रशासकीय विभाग, मुख्यमंत्री से समन्वय में अनुमोदन उपरांत कर सकेगा।

30. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति - (1) इन नियमों के लागू किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई को निर्देश जारी कर, प्रशासकीय विभाग दूर कर सकेगा।

(2) इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप में आवश्यक संशोधन प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

31. निरसन तथा व्यवृत्ति.- इन नियमों के प्रभावशील होने की तारीख से मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 का नियम 53 तथा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 का नियम 20 तथा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 निरसित हो जाएंगे:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या पारित किया गया आदेश इन नियमों के अधीन की गई कार्रवाई या पारित किया गया आदेश समझा जाएगा।

निरसित नियमों के अधीन लंबित अपील / पुनरीक्षण आवेदन इन नियमों के तहत अपीलीय / पुनरीक्षणकर्ता प्राधिकारी को यथास्थिति अंतरित किये जायेंगे।

अनुसूची-एक  
{नियम 21 देखिए}

अनुक्रमांक	वाहन का प्रकार	सुपुदर्गी हेतु वाहन मूल्य
1	ट्रेक्टर ट्राली	50 हजार
2	2 एक्सल (छह पहिया वाहन)	1 लाख 50 हजार
3	डम्पर (हाइड्रोलिक छह पहिया वाहन)	2 लाख
4	3 एक्सल (दस पहिया वाहन)	3 लाख
5	4-6 एक्सल (दस पहिया वाहन से अधिक)	4 लाख
6	जेसीबी	2 लाख
7	पोकलेन	4 लाख
8	अन्य उपकरण अथवा औजार	औसत बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत

प्ररूप-1  
[नियम 6(1) देखिए]

खनिज परिवहन हेतु वाहक के पंजीयन के लिए आवेदन

- वाहक के ब्यौरे -  
(एक) वाहक का प्रकार तथा भार क्षमता .....  
(दो) वाहक का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के पंजीयन क्रमांक (राज्य एवं जिले का नाम) .....  
(तीन) पंजीयन की प्रति .....
- आवेदक का नाम .....
- आवेदक का पता एवं मोबाईल नम्बर .....
- यदि आवेदक फर्म/कंपनी/संगठन हो तो पंजीयन क्रमांक एवं स्थान .....
- आवेदक की पहचान (स्थाई लेखा संख्या आयकर/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट क्रमांक/ड्राईविंग लायसेंस नम्बर/राशन कार्ड) इनमें से कोई एक .....
- आवेदन का दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

## प्ररूप-2

[नियम 6(3) देखिए]

खनिज परिवहन हेतु वाहक का पंजीयन

कलक्टर कार्यालय

(जिला.....(मध्यप्रदेश))

1. मध्यप्रदेश राज्य के परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहक का विवरण निम्नानुसार है:-
  - (एक) पंजीयन क्रमांक .....
  - (दो) वाहक का प्रकार .....
  - (तीन) भार क्षमता (टन में) .....
  - (चार) परिवहन विभाग का राज्य एवं जिला .....
  - (पांच) वाहक स्वामी का नाम .....
  - (छह) पता .....
2. उपरोक्त वाहक को खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन में खनिज परिवहन हेतु एतद्द्वारा पंजीकृत किया जाता है।
  - (एक) पहचान संख्या .....
  - (दो) पंजीयन का जिला .....
  - (तीन) तारीख .....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम .....

## प्ररूप-3

[नियम 6(4) देखिए]

खनिज परिवहन हेतु वाहक/वाहकों का पंजीयन के अभिलेख हेतु रजिस्टर

1. अनुक्रमांक : .....
2. आवेदक का नाम तथा पता : .....
3. आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक : .....
4. पंजीयन हेतु वाहक का प्रकार तथा भार क्षमता : .....
5. परिवहन विभाग द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक : .....
6. पंजीयन क्रमांक तथा अधिकारी द्वारा जारी करने का दिनांक : .....
7. प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर : .....

## प्ररूप-4

## [नियम 8(1) देखिए]

अनुज्ञप्ति प्रदान या नवीकरण के लिए आवेदन  
(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

तारीख ..... माह ..... वर्ष ..... को ..... (स्थान) में प्राप्त किया .....

प्रति,

कलक्टर,

जिला ..... (मध्यप्रदेश)

महोदय,

1. मैं/हम ..... वर्षों की अवधि हेतु, खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण करने के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं।
2. इन नियमों के अधीन देय आवेदन फीस के रूप में रूपए ..... की राशि का चालान क्रमांक ..... तारीख ..... स्थान में जमा कर दी गई है।
3. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :
  - (एक) आवेदक का नाम के साथ पूर्ण पते .....
  - (दो) आवेदक की जाति (यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है तो जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
  - (तीन) क्या आवेदक व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संस्था है .....
  - (चार) आवेदक के व्यवसाय की उपजीविका या प्रकृति .....
  - (पांच) कोई खनिज बकाया नहीं प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न करें).....
  - (छह) यदि आवेदक, आवेदन करने की तारीख पर राज्य में कोई खनिज रियायत/अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता है तो उसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करें .....
  - (सात) खनिज/खनिजों या उसके/उनके उत्पाद जिसके/जिनके लिए आवेदक का अनुज्ञप्ति धारण करने का आशय है .....
  - (आठ) उस खनिज रियायत अनुज्ञप्ति के विवरण दर्शाते हुए शपथ-पत्र कि वह किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा आवेदकों के साथ संयुक्त रूप से राज्य में धारित है या धारित की जा रही है .....

4. (1) व्यापार हेतु :

(एक) उस भूमि के ब्यौरे, जिस पर आवेदक, खनिज/खनिजों या उसके उत्पादों का भण्डारण या व्यापार करने का इच्छुक है। जहां भूमि आवेदक के स्वामित्व की न हो, इस आशय का एक शपथ-पत्र कि उसने सतही अधिकार या स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है .....

(दो) उस भूमि का प्रमाणित नक्शा तथा नवीनतम राजस्व अभिलेख संलग्न करें, जिसका उपयोग खनिज/खनिजों या उसके/उनके उत्पादों के भण्डारण के लिए किया जाना आशयित है। (दो प्रतियां)

(तीन) कोई अन्य ब्यौरे, जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है .....

(2) उद्योग में उपयोग हेतु :-

(एक) उद्योग का वैद्य पंजीयन .....

(दो) उद्योग की स्थिति .....

(तीन) उपयोग किए जाने वाले खनिज/खनिजों का नाम .....

(चार) प्रतिवर्ष उपयोग किए जाने वाले खनिजों की मात्रा .....

(पांच) कोई अन्य ब्यौरे .....

(3) शासकीय निर्माण कार्य में उपयोग हेतु :-

(एक) ठेकेदार का वैद्य पंजीयन .....

(दो) शासकीय विभाग का नाम, जिसने ठेका प्रदत्त किया है .....

(तीन) कार्य आदेश की प्रति .....

(चार) निर्माण की कालावधि .....

(पांच) उपयोग किए जाने वाले गौण खनिज/खनिजों के नाम .....

(छह) उपयोग किए जाने वाले गौण खनिज/खनिजों की मात्रा .....  
(घनमीटर में)

(क) रेत .....

(ख) पत्थर .....

(ग) मुरम .....

(घ) गिट्टी .....

(ङ) अन्य .....

(सात) निर्माण का स्थान .....

(आठ) कोई अन्य ब्यौरे .....

(4) रहवासी कालोनी/बहुमंजिला प्रकोष्ठ में उपयोग हेतु :-

(एक) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त कालोनाइजर/बिल्डर की अनुज्ञप्ति की प्रति .....

(दो) निर्माण के स्थल का ब्यौरे .....

(तीन) निर्माण के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति .....

(चार) भवन/प्रकोष्ठ की संख्या .....

(पांच) उपयोग किए जाने वाले गौण खनिज का नाम .....

(छह) उपयोग किए जाने वाले गौण खनिज की अनुमानित मात्रा (घनमीटर में) .....

क. रेत

ख. पत्थर

ग. मुरम

घ. गिट्टी

ङ. अन्य

(सात) कोई अन्य ब्यौरे .....

आवेदक के हस्ताक्षर .....

नाम :.....

पता :.....

**प्ररूप-5**  
**[नियम 11 देखिए]**

**खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र का रजिस्टर**

1. अनुक्रमांक : .....
2. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख : .....
3. आवेदन प्राप्त करने की तारीख : .....
4. आवेदक का नाम तथा पूर्ण पता : .....
5. खनिज/उत्पाद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया गया है : .....
6. वह कालावधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण के लिए आवेदन किया गया है : .....
7. आवेदन फीस का भुगतान : चालान क्रमांक .....  
तारीख ..... द्वारा किया गया
8. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का प्रयोजन : .....
9. आवेदन का अन्तिम निपटारा आदेश क्रमांक : .....
- एवं तारीख : .....
10. प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर : .....

प्ररूप 6  
[नियम 13(1) देखिए]

मध्यप्रदेश शासन  
कलक्टर, कार्यालय  
जिला ..... (मध्यप्रदेश)

खनिज व्यापारी की अनुज्ञप्ति

क्रमांक .....

दिनांक .....

श्री ..... (निवासी) ..... को निम्नलिखित खनिज/खनिजों/उत्पादों का  
स्टाक करने हेतु निम्नलिखित प्रयोजन के लिए तारीख ..... से ..... तक अवधि .....  
के लिए मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के  
अधीन खनिज व्यापारिक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

खनिज (खनिजों)/उत्पाद .....

1. व्यापार हेतु स्टाक यार्ड की स्थिति : .....
2. उद्योग में उपयोग हेतु : .....
- उद्योग का स्थान : .....
3. शासकीय निर्माण हेतु : .....
- निर्माण स्थल : .....
4. रहवासी कालोनी/बहुमंजिला प्रकोष्ठ में : .....
- उपयोग हेतु निर्माण स्थल : .....

अनुज्ञापन प्राधिकारी.....

नाम .....

पदनाम.....

पदमुद्रा

**प्ररूप-7**  
**[नियम 15 देखिए]**

**खनिज व्यवहारी अनुज्ञप्ति का रजिस्टर**

- |    |  |   |       |
|----|--|---|-------|
| 1. | अनुक्रमांक   | : | ..... |
| 2. | अनुज्ञप्तिधारी का नाम  | : | ..... |
| 3. | पूरा पता   | : | ..... |
| 4. | खनिज (खनिजों)/उत्पादों का नाम  | : | ..... |
| 5. | स्टाकयार्ड की अव स्थिति/उद्योग का स्थान/शासकीय निर्माण<br>का स्थल/रहवासी कालोनी/बहुमंजिला प्रकोष्ठ का स्थल | : | ..... |
| 6. | अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण का क्रमांक<br>तथा तारीख  | : | ..... |
| 7. | अनुज्ञप्ति की कालावधि  | : | ..... |
| 8. | अभ्युक्तियां   | : | ..... |
| 9. | प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर   | : | ..... |

प्ररूप 8

[नियम 17(एक) देखिए]

खनिज व्यवहारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

1. अनुज्ञप्तिधारक का नाम एवं पता : .....
2. स्टाकयार्ड की अव स्थिति/उद्योग का स्थान/शासकीय निर्माण  
स्थान/रहवासी कालोनी/बहुमंजिला प्रकोष्ठ का स्थान : .....
3. खनिज (खनिजों)/उत्पाद का नाम : .....

(एक)

(दो)

(तीन)

(चार)

(क) अनुक्रमांक

(ख) तारीख

(ग) खनिज का नाम

प्रारंभिक शेष

(टन/घनमीटर में)

1.

2.

3.

(घ) खनिज का नाम

प्राप्त किए गए खनिज की मात्रा

(टन/घनमीटर में)

1.

2.

3.

(ङ) पक्षकार का नाम जिससे

खनिज का नाम व मात्रा

खनिज प्राप्त किया गया

(टन/घनमीटर में)

(च) स्टोकयार्ड तक खनिज (खनिजों/उत्पाद के परिवहन में उपयोग किए गए अभिवहन पास बुकों पुस्तक अनुक्रमांक ..... दिनांक .....

(छ) खनिज का नाम

कुल स्टोक

(टन/घनमीटर में)

1.

2.

3.

(ज) स्टोकयार्ड से प्रेषित शासकीय निर्माण में उपयोग किए गए/रहवासी कालोनी/ बहुमंजिला प्रकोष्ठ निर्माण में उपयोग किए गए खनिज की मात्रा

खनिज का नाम

खनिज की मात्रा

(टन/घनमीटर में)

1.

2.

3.

(झ) पक्षकार का नाम जिसे खनिज विक्रय किया गया था .....

(ञ) स्टोकयार्ड से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग की गई अभिवहन पासबुक का पुस्तक क्रमांक ..... अनुक्रमांक ..... तारीख .....

(ट) अन्तिम स्टोक ..... (टन/घनमीटर में)

(ठ) अभ्युक्तियां ..... ।

**प्ररूप 9**  
**[नियम 17(दो) देखिए]**

**खनिज व्यवहारी अनुज्ञप्तिधारी हेतु तिमाही विवरणी का प्ररूप**  
**तिमाही के लिए विवरणी**  
(तिमाही की समाप्ति के पश्चात आगामी मास के 10वें दिन तक प्रस्तुत करें)

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम : .....
2. अनुज्ञप्तिधारी का पता : .....
3. अनुज्ञप्ति का क्रमांक : .....
4. अनुज्ञप्ति की कालावधि : ..... से ..... तक
5. स्टकयार्ड/शासकीय निर्माण/रहवासी कालोनी/  
बहुमंजिला प्रकोष्ठ की अवस्थिति : .....
6. उस खनिज (खनिजों)/उत्पादों का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है :
  - (क) खनिज का नाम
    - 1.
    - 2.
    - 3.
  - (ख) खनिज का नाम
 

	प्रारंभिक स्टक मात्रा (टन/घनमीटर)
--	-----------------------------------

    - 1.
    - 2.
    - 3.
  - (ग) प्राप्त खनिज की मात्रा
 

खनिज का नाम	मात्रा (टन/घनमीटर)	पक्षकार का नाम/पता जिसके द्वारा प्राप्त किया गया
-------------	-----------------------	---

    - 1.
    - 2.
    - 3.
  - (घ) उपयोग किए गए/प्रेषित खनिज
 

खनिज का नाम	मात्रा (टन/घनमीटर)
-------------	--------------------

    - 1.
    - 2.
    - 3.
  - (ङ.) शेष स्टक (मास के अन्त में)
 

खनिज का नाम	मात्रा (टन/घनमीटर)
-------------	--------------------

    - 1.
    - 2.
    - 3.

स्थान :  
तारीख :

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

## प्ररूप 10

## [नियम 27(1) एवं 28(1) देखिए]

अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र  
(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

1. आवेदक का नाम एवं पता .....
2. आवेदक की जाति (यदि आवेदक अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है तो जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
3. प्राधिकारी का नाम, आदेश क्रमांक एवं तारीख जिसके विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
4. अपील/पुनरीक्षण का आधार .....
5. अपील/पुनरीक्षण फीस-ट्रेजरी चालान क्रमांक ..... तथा तारीख .....
- (मूल प्रति संलग्न करें)
6. प्रकरण में यदि कोई शास्ति राशि अधिरोपित की गई है तब अधिरोपित राशि .....
- ..... रूप में।
7. अधिरोपित शास्ति राशि का 10 प्रतिशत जमा किए जाने का चालान क्रमांक एवं दिनांक ....
8. आदेश से 60 (साठ) दिन के पश्चात अपील/पुनरीक्षण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में विलम्ब का कारण .....
9. कोई अतिरिक्त जानकारी, जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है .....

स्थान :  
तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर .....

आवेदक का नाम .....

**No.:- F-19-7-2021--XII-1.-** In exercise of the powers conferred by Section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

**CHAPTER-I**  
**PRELIMINARY**

**1. Short title, extent and commencement.-**

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022.
- (2) They shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication of this notification in the Official Gazette.

**2. Definitions.-**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "**Act**" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957);
- (b) "**Authorised Person**" means Director, Joint Director, Deputy Director, Officer Incharge (Flying Squad) and Collector, Additional Collector of senior I.A.S. scale, Additional Collector and Joint Collector, Deputy Collector of State Administrative Service, Tehsildar, Naib Tehsildar, Officer Incharge of the Mining Section of the concerned District Collectorate, Mining Officer, Diamond Officer, Assistant Mining Officer, Mining Inspector and Mining Surveyor of the district concerned within their respective jurisdiction or any other person authorised by the Government;

- (c) "**Carrier**" means any mode by which mineral/minerals or its products are transported from the place of raising or from one place to another by way of mechanised device; excluding railway wagons, aerial ropeway, conveyor belt;
- (d) "**Director**" means Director Geology and Mining, Madhya Pradesh and "Joint Director", "Deputy Director", "Mining Officer", "Diamond Officer", "Assistant Mining Officer", "Mining Inspector" and "Mining Surveyor" means the respective Officers of the Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh;
- (e) "**Forms**" and "**Schedule**" means the forms and Schedule appended to these rules;
- (f) "**Licence**" means a mineral dealer licence granted under these rules;
- (g) "**Licensee**" means holder of a mineral dealer licence granted under these rules for the purpose of transporting, storing and trading of major mineral and for the purpose of transporting, storing, trading and for use in construction work of minor mineral/minerals or its products;
- (h) "**Licensing Authority**" means Collector, Additional Collector of senior I.A.S. scale or any other Officer to whom the State Government may by notification in the Official Gazette authorise for the purpose of granting or renewing a mineral dealer licence;
- (i) "**Mineral Product**" means bricks, roofing tile, lime, dressed stone, block, slabs, tiles, chips, ballast, stone dust;
- (j) "**Officer Incharge of Mining Section**" means the Gazetted Officer or Employee of Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh posted at Collector's office and in his absence any such officer nominated by the Collector;

- (k) **"Revenue Board", "Commissioner", "Collector"** and **"Additional Collector"** of senior I.A.S. scale, **"Additional Collector", "Joint Collector"** and **"Deputy Collector"** of State Administrative Service, **"Tehsildar", "Naib Tehsildar"**, have the same meaning respectively assigned to them in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
- (l) **"Scientific test"** means any test conducted for geological, mineralogical or chemical analysis of minerals and rocks exclusively for academic and research purpose without any commercial motive;
- (m) **"Stockyard"** means a place where the mineral/minerals and/or its products are stored and stocked for commercial purpose outside the lease area;
- (n) **"Transit Pass"** means a e-transit pass generated from specified portal for lawful transportation of any mineral/minerals and/or its products from the lease area or from one place to another by a carrier;
- (o) Words **"Mineral", "Composite Licence"** and **"Mining Lease"** shall have the same meaning, as assigned to them in the Act;
- (2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act or Rules.

### 3. Prohibition.-

- (1) No person shall transport or cause to be transported any mineral/minerals or/and its products by any carrier from the place of raising or from one place to another without having a valid transit pass issued under these rules:

Provided that no such Transit Pass shall be required in case of any mineral/minerals or its products are being transported directly

from the lease area by means of mechanical device viz. railway wagon or aerial ropeway or conveyor belt.

(2) (i) no person/firm/company shall transport, store, trade of major mineral/minerals for commercial purpose, outside of mine area without licence granted under these rules;

(ii) no person/firm/company shall transport, store, trade and use in construction work of minor mineral/minerals or its products for commercial purpose, outside of mine area without licence granted under these rules;

(iii) minor mineral/minerals or its products shall not be used without having valid mineral dealer licence by government contractor/builder, in government construction work/ development of residential colony, multi apartment;

(iv) no mineral dealer licence shall be granted for manganese and coal in periphery of fifty kilometers of their mines;

(v) provisions of clause (iv) shall not be applicable on use of manganese/coal in own industry."

**4. Exceptions.-** Nothing in these rules shall apply to-

(1) The transportation or storage of soil by hereditary Kumhar, a member of Scheduled Caste or a member of Scheduled Tribe or Co-operative Society of such Kumhars or member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe for preparing tiles, pots or bricks by traditional means from the area that the Gram Shabha may decide and earmark within its respective jurisdiction for this purpose.

(2) The transportation or storage of minor minerals which is not for sale but for the purpose of construction or repairs of wells or other agricultural works or for the improvement or construction of the

dwelling house of agriculturist, village artisans and labourers residing in the villages.

- (3) The transportation or storage of minor minerals quarried from the Government Lands for public works by Gram Panchayats, Janpad Panchayats and Zila Panchayats for the works undertaken by respective Panchayats.
- (4) The transportation and storage of minerals and rocks for the purpose of scientific tests.
- (5) Use of minor mineral in domestic construction also.

## **CHAPTER-II**

### **Transportation of Minerals and Registration of Carrier**

#### **5. Transportation of Minerals and its Products.-**

- (1) The holder of a prospecting licence, quarry lease, quarry permit and trade quarry shall issue a transit pass from specified portal on the basis of payment of advance royalty, to transport the mineral.
- (2) All the entry shall be made by mineral concession holder in the transit pass to be issued from online portal. Proof of transit pass shall be kept necessarily in every vehicle for mineral transportation issued in such a manner.
- (3) (i) the holder of a Mineral Dealer Licence for transportation of mineral or its products from the stockyard shall issue the transit pass from the specified portal for every trip;  
(ii) all the entry shall be made by mineral dealer licence holder in the transit pass to be issued from online portal. Proof of transit pass shall be kept necessarily in every vehicle for mineral transportation issued in such a manner;

- (iii) mineral dealer licence granted for Government work/other work shall not transport, mineral from place of licence and they are not required to obtain transit pass.

**6. Registration of Carrier.-**

- (1) Application for registration of carrier for transportation of minerals shall be made online in specified portal in Form-1.
- (2) Valid registration of Transport Department shall be uploaded along with application. Separate application in Form-1 shall be required for each carrier.
- (3) Registration of carrier shall be issued in Form-2:

Provided that physical verification of original document of the registration by the office of the collector shall be mandatory for the registration under these rules, for the vehicle registered in transport department of other State.

- (4) Record of registration of carrier shall be kept online in specified portal in Form-3 by concerned office.
- (5) Holder of mine and mineral dealer licence shall transport or cause to be transported mineral by carrier registered by above procedure.

**CHAPTER-III**

**ESTABLISHMENT OF CHECK POSTS AND WEIGHMENT**

**7. Establishment of check posts and weighment of mineral being transported and inspection.-**

- (1) If the State Government considers it necessary to do so with a view to check the transportation and storage of minerals without lawful authority, it may direct the setting up of the check post at any place or places within the State by an order in writing. The setting up of a check post shall be notified in the Official Gazette:

Provided that temporary arrangement for checking shall be made by the concerned collector of the district at any place in the district for the inspection, for which no notification in the official gazette shall be required.

- (2) An authorised person may check any carrier transporting any mineral or its product at any place and the person in charge of the carrier shall furnish to him/her the registration of carrier for transport of mineral and other particulars such as bill or receipt or delivery note etc. on demand by the authorised person. Verification of transit pass and registration of vehicle may be made by the means of specified portal or mobile app.
- (3) At every check post set up under sub-rule (1) or any place, authorised person may stop the carrier for examination of the mineral or its product. The driver of the vehicle transporting the minerals or its product shall allow inspection of all records and documents relating to mineral or its product. Verification of transit pass and registration of vehicle may be made by the means of specified portal or mobile app.
- (4) If the authorised person has reason to believe that the mineral or its product being transported is not covered by the transit pass or the transit pass is found to be tampered or the transportation is found to be without any transit pass or the time and distance of destination mentioned in the transit pass is irregular, the authorised person shall have power to seize the mineral or its products along with the carrier.
- (5) The authorised person shall give a receipt of such mineral or its product and the carrier seized, to the person, from whose possession or control it is seized.
- (6) The authorised person may direct the person incharge of the carrier to take the carrier transporting the mineral or its product to the

\*

nearest police station or any other place. If the driver of the carrier refuses to take the carrier transporting mineral or its product to the nearest police station or the place asked for, the authorised person may seize the mineral or its products along with carrier and take the same in his/her possession.

- (7) If the authorised person has reasons to believe that the weight recorded in the transit pass is not correct, he shall direct the driver of carrier to take the carrier transporting the mineral or its products to the nearest weigh bridge.

#### **CHAPTER-IV**

#### **GRANT OF MINERAL DEALER LICENCE AND ITS RENEWAL**

#### **8. Application for grant or renewal of a Mineral Dealer Licence.-**

- (1) An application for the grant or renewal of mineral dealer licence shall be made online in specified portal in Form-4.
- (2) An application for the grant or renewal of a licence shall be paid as specified in the portal the court fee stamp of value or Rupees Hundred only.
- (3) Every application for the grant or renewal of a licence shall be accompanied by-
- (a) a non-refundable application fee of Rupees Five Thousand only to be deposited in the government treasury under the revenue receipt head.-

0853-	Mines and Minerals
102-C-	Mineral Concession Fee, Rent and Royalties
800-	Other Receipts
002-	Receipts from Minor Mineral including Fines, forfeitures:

Provided that if the applicant is a member of Scheduled Tribe/Scheduled Caste/Other Backward Classes, he/she shall deposit a non refundable fee of Rupees Five Hundred Only in the same manner.

- (b) an up to date "No mining dues certificate" issued by the Mining officer incharge of the Mining Section of the concerned district collectorate. In case the applicant is a partnership firm or a private limited company, such certificate shall be furnished by all the partners of the firm or by all the members of the private limited company, as the case may be:

Provided that if a person has furnished an affidavit to the satisfaction of the Licensing Authority, stating that the applicant does not hold and has not held any mineral concession and/or mineral dealer licence in the State, is shall not be necessary for that person to produce the said certificate:

Provided further that submission of the said certificate under sub-clause (b) above shall not discharge the person from the liability to pay the mining dues which may subsequently found to be payable by the said person under the Act or Rules framed there under to the State Government.

- (c) an affidavit showing details of mineral dealer licence held or being held by the applicant in the State or by any other person/persons jointly with the applicant;
- (d) where the land is not owned by the applicant, an affidavit to the effect that he/she has obtained the surface right or the consent of the owner for storing and trading the mineral/minerals and/or its products:

Provided that, no such affidavit shall be required where the land is owned by the State Government.

- (e) copies of the certified maps and the latest revenue record of the area proposed to be used as stockyard, where the applicant intends to store and trade mineral/minerals or its products;
- (f) mineral dealer licence for following use of minor mineral, the following document shall be furnished-
  - (i) for industrial use - valid registration of Industry Department/details of place of industry/product to be prepared;
  - (ii) for use in government construction - registration of contractor/work order of construction agency/tenure of construction/details of quantity of each minor minerals to be used/details of place of construction;
  - (iii) for construction of residential colony/multi apartment-licence of coloniser given by authorised officer/details of place of construction/permission for development of colony/details of quantity of each minor minerals to be used.

**9. Status of the grant on the death of applicant.-**

Where an applicant who applied for grant or renewal of a licence dies before the order granting or renewing a licence is issued, the application for the grant or renewal of licence shall be deemed to have been made by the legal heir/heirs of the applicant.

**10. Acknowledgement of application.-**

After the submission of online application in specified portal by the applicant, the computer generated acknowledgement will be obtained.

**11. Register of application for licence.-**

The register of application for grant or renewal of a licence shall be maintained online by the officer incharge of the mining section or Mining Officer/Assistant Mining Officer of the concerned district in Form-5.

**12. Renewal of licence.-**

An application for renewal of a licence shall be made to the Licensing Authority of the concerned district at least three months before the date on which the licence is due to expire:

Provided that the Licensing Authority may condone the delay in submission of application for renewal of licence after the time limit prescribed, if the applicant satisfies the Licensing Authority that he/she has sufficient cause for not filing the application for renewal in time, provided that the application for the renewal has been made before the expiry of the licence.

**13. Disposal of application for the grant or renewal of a licence.-**

- (1) The Licensing Authority after making such inquires, as he/she may deem fit, may grant or renew the licence and shall issue such licence in Form-6 or refuse to grant or renew the licence and information regarding the same shall be given in specified portal:

Provided that the Licensing Authority shall not refuse to grant or renew a licence for the whole or part of the area applied for without giving an opportunity of hearing to the applicant and without recording the reasons for refusal in writing and communicating the reasons for refusal in writing to the applicant.

- (2) No application for grant or renewal of a licence submitted under Rule-8 shall be refused only on the ground that Form-4 is not complete in all material particulars or is not accompanied by the documents referred to in Rule-8.

x

- (3) Where it appears that the application is not complete in all material particulars or is not accompanied by the documents referred in Rule-8, the Licensing Authority shall, by notice, inform the applicant to supply the omission or, furnish the documents without delay as the case may be, and in any case not later than thirty days from the date of receipt of the said notice by the applicant.
- (4) If an application for renewal of Licence made within the time referred to in Rule-12 is not disposed by the Licensing Authority before the date, on which the licence is due to expire, the period of such licence shall be deemed to have been extended by a further period, for which the licence was granted till the Licensing Authority passed order thereon.
- (5) The Licensing Authority may at his/her own discretion, may refuse to grant or renew a licence to such person, who is convicted of any offence under the Act/or Rules made thereunder.
- (6) Licence which is sanctioned under these rules in favour of mining lease holder, such licence, after expiry of lease period, shall be deemed to be transferred with due compliance of provisions specified in Rule 8 in favour of new lease holder in whose favour the lease is granted by mode of auction.

#### **14. Security Deposit.-**

An applicant shall deposit as security for the due observance of the terms and conditions of the licence a sum of Rupees Twenty Five Thousand only within seven days from the date of intimation for grant or renewal of a licence by the Licensing Authority in the same manner, as prescribed in clause (a) of sub rule (3) of Rule 8:

Provided that the licence sanctioned or renewed prior to the date of implementation of these rule shall deposit mandatorily the difference amount of security within the period of three months from the date of

implementation of these rules. Difference amount of security is not paid within the period of three months, then simple interest of 24 percent shall be payable.

**15. Register of licence.-**

A register for Licence shall be maintained online by the Mining Officer/Assistant Mining Officer or by Officer Incharge of the Mining Section of the concerned district collectorate in Form 7.

**16. Period for which licence may be granted or renewed.-**

- (1) The maximum period for which a Licence may be granted shall not exceed ten years.
- (2) A licence may be renewed for a period not exceeding the period for which it was originally granted.
- (3) If the licence is sanctioned for any project, period of licence shall be the period of the project.
- (4) The period of licence sanctioned prior to the implementation of these rules deemed to be extended for the period as specified in sub rule (1).

**17. Conditions of a licence.-**

- (1) Every Licence granted under these rules shall, in addition to any other conditions, that may be specified therein, be subject to the following conditions, namely:-
  - (i) the licensee shall keep accurate and faithful accounts showing the quantity and other particulars of the mineral/minerals and/or its products received and dispatched from the stockyard in the register prescribed in Form-8;

- \* (ii) the licensee shall submit annual returns online in the specified portal in Form-9;
- (iii) the licensee shall issue transit pass for every carrier transporting any mineral or its products from the stockyard;
- (iv) the licensee shall keep the record of the name, nationality, age, sex and address of the persons employed;
- (v) the licensee shall not pay wages less than the minimum wages prescribed by the Central and State Government from time to time under the Minimum Wages Act, 1948;
- (vi) the licensee shall allow any authorised person to-
- (a) enter and inspect the stockyard including mineral processing unit, if any, building, office or any relevant premises;
- (b) survey, weigh, measure or take measurements of the stocks of mineral/minerals and/or its products lying at the stockyard;
- (c) examine any documents, books, registers or relevant record in the possession of the licensee or any other person having the control thereof or connected therewith and take extracts from or make copies of such documents, books, registers or record;
- (d) examine the licensee or any person having the control thereof or connected therewith;
- (e) collect any other relevant information;
- (f) collect samples of any mineral/minerals and/or its products.
- (vii) The licensee shall display the licence prominently at the stockyard or at his/her normal place of business.

**(2) Powers of the Government/Licensing Authority.-**

In the case of breach of any conditions, the conditions specified in sub-rule (1) by the licensee, the State Government/Licensing Authority shall give a notice in writing to the licensee asking him/her to show cause why he/she should not be penalised and/or the licence should not be cancelled for the breach of condition committed directing him/her to remedy the breach of condition within thirty days from the date of receipt of said notice and if the licensee fails to show proper cause and/or if the breach of condition is not remedied within such period, the licensing Authority, without prejudice to any other action may determine the licence and/or forfeit the whole or part of the security deposit:

Provided that no such action shall be taken without giving an opportunity of being heard to the Licensee.

**CHAPTER-V****Penalty for illegal extraction of minor mineral, illegal transportation of minerals and their product and illegal storage****18. Penalty for illegal extraction of mineral or illegal storage of mineral or their product.-**

- (1) Whenever any person is found extracting or storing or on whose behalf such extraction or storing is being made in violation of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 or Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rules, 2019 or under these rules or any other rule prevailed by department shall be presumed to be a party to the illegal extraction or storing.
- (2) To the party decided under sub-rule (1), the Collector or any officer authorised by him not below the rank of Deputy Collector shall after giving an opportunity of being heard determines that such person has extracted or stored the minerals in contravention of the provisions of

these rules, then he may compound by imposing the fine of fifteen times of the royalty on extracted or stored mineral, to the violator. Amount equivalent to the fine shall be imposed additionally in form of environment compensation as penalty. Fine and amount of environment compensation shall be the total penalty.

- (3) Information letter shall be issued to the violator for compounding on total penalty as mentioned in sub-rule (2). Period of fifteen days shall be provided in information letter to deposit the amount. This period may be extended on the basis of suitable reasons.
- (4) On payment of total imposed penalty and compounding fee of Rupees One Thousand the compounding of the case may be made. On deposition of total penalty the forfeited vehicle, machine, tools etc. may be released.
- (5) In case of compounding is not made by the violator as per sub-rule (4), the case shall be moved as per the provision of Civil Procedure Code, 1908 before the authority as prescribed in sub-rule (1).
- (6) The double amount to the total penalty as prescribed in sub-rule (2) shall be imposed when the violation of illegal extraction/illegal storage is proved. Along with this forfeited vehicle, machinery, tools etc. shall be confiscated by cancelling the handing over as granted under the provision of Rule 21 to the owner of vehicles. The confiscated vehicle, machinery, tools etc. shall be disposed off in transparent manner. The amount deposited under Rule 21 shall be refundable on decision in favour of violator otherwise the deposited amount shall be adjusted in total penalty.

#### **19. Penalty for illegal transportation.-**

- (1) Whenever any person is found transporting mineral without valid transit pass in violation of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 or Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and

Trading) Rules, 2019 or under these rules or any other rule prevailed by department or cause to be, then in such cases the Collector or any officer authorised by him not below the rank of Deputy Collector may impose a fine of Fifteen times of the royalty. An amount of environment compensation as penalty shall be payable along with the fine imposed, mentioned as below:-

<b>S.No.</b>	<b>Type of Vehicle</b>	<b>Environment Compensation</b>
1	Tractor Trolley	25,000/-
2	2 Excel (six wheeler vehicle)	50,000/-
3	Dumper (hydraulic six wheeler vehicle)	1,00,000/-
4	3 Excel (ten wheeler vehicle)	2,00,000/-
5	4-6 Excel (more than ten wheeler vehicle)	4,00,000/-

Fine and amount of environment compensation shall be the total penalty.

- (2) Information letter shall be issued to the violator for compounding on total penalty as mentioned in sub-rule (1) period of fifteen days shall be provided in information letter to deposit the amount. This period may be extended on the basis of suitable reasons.
- (3) After payment of total penalty, imposed as per sub-rule (1) and compounding fee of Rupees One Thousand the compounding of the case may be made. After compounding the case the forfeited mineral and vehicle may be released.

- (4) In case of compounding is not being made by the violator as per sub-rule (3), the case shall be moved as per the provision of Civil Procedure Code, 1908 before the authority as prescribed in sub-rule (1).
- (5) The double amount to the total penalty as prescribed in sub-rule (1) shall be imposed when the violation of illegal transportation is proved. Along with this forfeited vehicle shall be confiscated by cancelling the handing over as granted under the provision of Rule 21 to the owner of vehicles. The confiscated vehicle shall be disposed off in transparent manner. The amount deposited under Rule 21 shall be refundable on decision in favour of violator otherwise the deposited amount shall be adjusted in total penalty.
- (6) In case of illegal transportation owner of the vehicle shall be responsible.
- (7) In case of non-compounding of the case the registration made under Rule 6 for transportation of mineral, shall be cancelled.

**20. Penalty for the excess quantity mentioned more than in transit pass.-**

- (1) If additional quantity is found during transportation of mineral mentioned in transit pass (e-TP) then penalty of fifteen times of royalty shall be imposed for the additional quantity. For additional quantity the amount of environment compensation as per the type of vehicle prescribed in sub-rule (1) of Rule 19 shall be payable proportionately. Fine and amount of environment compensation shall be the total penalty.

If in any vehicle it is found that excess quantity is being transported then calculation of amount of environment compensation shall be made per the following formula:-

$$\text{Amount of Environment Compensation} = \frac{\text{Quantity more than the quantity mentioned in Transit pass}}{\text{Quantity mentioned in Transit pass}} \times \text{Environment compensation amount as per the type of vehicle shown in the table of sub-rule (1) of Rule 19.}$$

**Example:**

If in transit pass the quantity of mineral is entered three cubic meter in tractor trolley and four cubic meter is being transported then the amount of environment compensation shall be Rupees 8,333/- as per the above formula.

- (2) Collector or any officer authorised by him not below the rank of Deputy Collector may impose the total penalty as prescribed in sub-rule (1).
- (3) Information letter shall be issued to the violator for compounding on total penalty as mentioned in sub-rule (1) and period of fifteen days shall be provided in information letter to deposit the amount. This period may be extended on the basis of suitable reasons.
- (4) On payment of total imposed penalty, as per sub-rule (1) and compounding fee of Rupees One Thousand the compounding of the case may be made. The forfeited mineral and vehicle may be released in case of compounding.
- (5) In case the compounding is not made by the violator as per sub-rule (4), the case shall be moved as per the provision of Civil Procedure Code, 1908 before the authority as prescribed in sub-rule (2).
- (6) The double amount to the total penalty as prescribed in sub-rule (1) shall be imposed when the violation of excess quantity to the quantity mentioned in transit pass is proved. The amount deposited under Rule 21 shall be refundable on decision in favour of violator otherwise the deposited amount shall be adjusted in total penalty.

**21. Handing over of forfeited vehicle and machinery etc.-**

If the application to hand over the forfeited vehicle, machinery etc. is made by the violator during the case is under trial or prior to trial then after receiving the amount of vehicle/machinery as prescribed in Schedule-I, the handing over to the owner of vehicle/machinery may be given by the Collector or officer authorised by him who is not below the rank of Deputy Collector. Prior to handing over a surety letter shall be obtained for the purpose that whenever vehicle/machinery required to be produced then owner of vehicle/machinery shall produce. During this period sale of vehicle and machinery shall be prohibited.

**22. Recovery of penalty.-**

Recovery of total penalty imposed under sub-rule (6) of Rule 18, sub-rule (5) of Rule 19 and sub-rule (6) of Rule 20 shall be recovered as an arrears of land revenue. For this, the Collector office shall issue the demand notice against the concern as per the provisions of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959. If the amount is not deposited as per the demand notice, the Revenue Recovery Certificate (RRC) shall be issued. In spite of that if the amount of arrear is not deposited, then after issuing attachment warrant the attachment shall be made proceedings shall be initiated as per rule.

**23. Action in illegal extraction, transportation, and Storage.-**

Whenever any person is found involved in illegal extraction, illegal transporting and illegal storing of the minerals or cause to be, in contravention of provisions of these rules, the Collector/Additional Collector/Deputy Collector/ Sub Divisional Officer (Revenue)/Tehsildar/Naib Tehsildar/Chief Executive Officer of Zilla Panchayat/Chief Executive Officer of Janpad Panchayat/Deputy Director (Mining Section)/Officer Incharge of Mining Section/Assistant Mining

Officer/Mining Inspector/Officer in Charge (Flying Squad) in their respective jurisdiction shall proceed to act in the following manner:-

- (i) to initiate case of illegal extraction, illegal transporting and illegal storing by preparing Panchnama on spot;
- (ii) to collect necessary evidences, which may include videography of illegal extraction, illegal transporting, illegal storing;
- (iii) to forfeit all tools, devices, vehicles used in illegal excavation or illegal storage or illegal transportation of mineral and mineral shall handover all material so forfeited to the persons or lessee or any other person from whose possession such material was forfeited on executing an undertaking up to satisfaction of the officer forfeiting such material, to this effect that he shall forthwith produce such material as and when may be required to do so;
- (iv) officers as mentioned above shall make a request in writing to the concerning police station/seeking police assistance, if necessary and police officer shall provide such assistance as may be necessary to prevent illegal excavation, transporting and storing of the mineral.

**24. Powers of the investigating officer.-**

The investigation officer while investigating the cases of illegal extraction, transporting and storing of the minerals, shall have the following powers:-

- (i) to call for person concern to record statements;
- (ii) to seize record and other material related to the case;
- (iii) to enter at concerned place and spot inspection;

- (iv) all powers as are vested in an incharge of a police station while investigation any cognizable offence under Code of Criminal Procedure;
- (v) all other powers as are vested under Code of Civil Procedure to compel any person to appear or to be examined on oath or to produce any document;
- (vi) on such cases where the illegal excavator, transporter, storer ran away leaving the vehicle/machine on the spot, then the double amount of the actual expenditure to keep the vehicle/machine etc. in safe custody shall be impose in addition to the fine.

**25. Action on finding of illegal extraction, storing, transportation and transportation of more quantity then the quantity mentioned in transit pass by the police.-**

On finding of illegal extraction, storing, transportation and transportation of more quantity then the quantity mentioned in transit pass by the police then information shall be given to the Sub Divisional Officer (Revenue). Sub Divisional Officer (Revenue) shall ensure the action under the provisions of Rule 23 and 24 on the basis of information given by Police.

**26. Deposition of penalty and amount of environment compensation.-**

Amount of penalty and environment compensation shall deposit in the account head as prescribed in para (a) of sub-rule (3) of Rule 8.

**CHAPTER-VI**

**APPEAL AND REVISION**

**27. Appeal.-**

- (1) Any person aggrieved by the order passed under these rules may file an appeal within sixty days of the date of communication of the order to the Divisional Commissioner in Form-10. The appellant shall

deposit a fee of Rupees One Thousand in the same manner as prescribed in clause (a) of sub-rule (3) of Rule-8 and attach the original treasury challan along with Form-10:

Provided that if the appellant is a member of Scheduled Tribe/Scheduled Caste/Other Backward Classes, he/she shall deposit a fee of Rupees One Hundred in the same manner, as prescribed in clause (a) of sub-rule (3) of Rule-8 and attach the original treasury challan along with Form-10:

Provided further that the appeal shall be disposed off under the Civil Procedure Code, 1908:

Provided also that appeal shall be accepted on payment of 10% of amount of total penalty imposed under these rules. This amount shall be refundable to the appellant in case of decision in his favour. If the decision is not in favour of appellant, then this amount shall be adjusted against the imposed penalty.

- (2) Where an application for appeal is made under these rules, the Appellate Authority may confirm, modify or set aside the order passed by Collector or pass such other order in relation thereto, as it may deem just and proper:

Provided that no order shall be passed against any person interested, unless he/she has been given an opportunity to represent his/her case:

Provided further that the Appellate Authority may stay the order for such time, as it may deem fit.

## **28. Revision.-**

- (1) Any person aggrieved by an order passed in appeal under these rules, may file an application for revision before the Revenue Board within sixty days of the date of communication in Form-10. The

person making the revision shall have to deposit a fee of Rupees one thousand in the same manner as prescribed in clause (a) of sub-rule (3) of Rule 8 and attach the original treasury challan along with Form- 10:

Provided that if the revisioner is a member of Scheduled Tribe/Scheduled Caste/Other Backward Classes, he/she shall deposit a fee of Rupees One Hundred in the same manner, as prescribed in clause (a) of sub-rule (3) of Rule 8 and attach the original treasury challan along with Form-10 :

Provided further that the appeal shall be disposed off under the Civil Procedure Code, 1908.

- (2) Where an application for revision is made under these rules, the Revisional Authority may confirm, modify or set aside the order passed by Appellate Authority or pass such other order in relation thereto, as it may deem just and proper:

Provided that no order shall be passed against any person interested, unless he/she has been given an opportunity to represent his/her case:

Provided further that the Revisional Authority may at any time direct that the execution of the order passed by the Appellate Authority be stayed for such time, as it may deem fit.

**29. Amendment in the Rule.-**

The administrative department may amend these rules after the approval of the Chief Minister in Co-ordination.

**30. Power to remove difficulties.-**

- (1) Any type of difficulties in implementation of these rules may be removed by the administrative department by issuing the instruction.
- (2) Administrative department may amend the Form appended to these rules.

**31. Repeal and Saving.-**

Rule 53 of the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996, Rule 20 of the Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rules, 2019 and Madhya Pradesh (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2006 is hereby repealed:

Provided that anything done or any action taken under the said rules shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

The appeal/revision pending under these repealed rules shall be transferred to the concerned Appellate or Revisioner authority as the case may be.

**SCHEDULE-I**

[see rule 21]

**Value of Vehicle**

<b>Sr.No.</b>	<b>Type of Vehicle</b>	<b>Value of Vehicle for handing over</b>
1.	Tractor Trolley	50 thousand
2.	2 Excel (six wheeler vehicle)	1 lakh 50 thousand
3.	Dumper (hydraulic six wheeler vehicle)	2 lakh
4.	3 Excel (ten wheeler vehicle)	3 lakh
5.	4-6 Excel (more than ten wheeler vehicle)	4 lakh
6.	JCB	2 lakh
7.	Poclain	4 lakh
8.	Other instrument or tools	10 per cent of average market value

**FORM-1**

[see rule 6(1)]

**Application for registration of carrier for mineral transportation**

1. Details of Carrier -
  - (i) Type of carrier and loading capacity .....
  - (ii) Registration number of carrier of regional transport office (Name of the State and District) .....
  - (iii) Copy of registration .....
2. Name of Applicant .....
3. Address of Applicant and Mobile Number .....
4. If Applicant is Firm/Company/Organisation, then registration number and place .....
5. Identity of Applicant (Income Tax Permanent Account Number/Voter ID Card/Passport Number/Driving Licence Number/Ration Card) any one of these .....
6. Date of Application .....

**Signature of Applicant**

**FORM-2**  
[see rule 6(3)]

**Registration of carrier for mineral transportation**

**Office of the Collector**  
**District ..... (Madhya Pradesh)**

1. Details of registered carrier in Madhya Pradesh State transport department is as follows:-
  - (i) Registration No. ....
  - (ii) Type of Carrier .....
  - (iii) Loading Capacity (in tonnes) .....
  - (iv) State and District of Transport Department .....
  - (v) Name of Carrier Owner .....
  - (vi) Address .....
2. The above carrier is hereby registered for transportation of mineral in Mineral Resources Department Government of Madhya Pradesh
  - (i) Identification Number .....
  - (ii) District of Registration .....
  - (iii) Date .....

Signature of Authorised Officer  
Designation

**FORM-3**  
[see rule 6(4)]

**Register for record of registration of Carrier (s) for transportation of mineral**

1. S.No. ....
2. Name of applicant and Address .....
3. Date of submission of application .....
4. Type of carrier and load capacity for registration .....
5. Registration number issued by transport department .....
6. Registration number and date issued by officer .....
7. Signature of authorised officer .....

**FORM-4**  
[see rule 8(1)]

**Application for grant or renewal of licence**  
(To be submitted in duplicate)

Received at ..... (place) on the ..... day of ..... month ..... year

Here affix court fees stamp

To,

The Collector  
District ..... (Madhya Pradesh)

Sir,

1. I/We request for the grant/renewal of mineral dealer licence for a term of ..... years.
2. A sum of Rs. .... as application fee payable under these rules has been deposited vide challan No. .... dated ..... at place .....
3. The required particulars are given below:
  - (i) Name of the applicant with complete address .....
  - (ii) Caste of the applicant (if applicant is the member of Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes, then enclose certified copy of caste certificate);
  - (iii) Is the applicant is an Individual/Private company/Public company /Firm or Association.
  - (iv) Profession or nature of business of applicant .....
  - (v) No Mining Dues Certificate (copy attached) .....
  - (vi) If on the date of application, the applicant does not hold any mineral concession/licence in the State furnish an affidavit for the same .....
  - (vii) Mineral/Minerals or its products, for which the applicant intend to hold licence .....
  - (viii) An affidavit showing details of mineral concession licence held or being held in the State by any other person/persons jointly with the applicant .....
4. (1) For trading-

- (i) Details of the land on which applicant desires to store or trade the mineral/minerals or its products. Where the land is not owned by the applicant, an affidavit to the effect that he/she has obtained the surface right or the consent of the owner.
- (ii) Enclose the certified map and latest revenue record of the land intended to be used for storing mineral/minerals or its products (two copies)
- (iii) Any other details that applicant desires to submit .....
- (2) For use in Industry-
- (i) Valid registration of industry .....
- (ii) Situation of industry .....
- (iii) Name of mineral/minerals to be used .....
- (iv) Quantity of minerals to be used annually .....
- (v) Any other details .....
- (3) For use in Government construction-
- (i) Valid registration of Contractor .....
- (ii) Name of the Government department who given contract .....
- (iii) Copy of work order .....
- (iv) Tenure of construction .....
- (v) Name of minor mineral(s) to be used .....
- (vi) Quantity of minor minerals to be used (in cubic meter)
- (a) Sand
- (b) Stone
- (c) Murrum
- (d) Gitti
- e. Others
- (vii) Place of construction .....
- (viii) Any other details .....
- (4) For use in residential colony/multi apartment-
- (i) Copy of licence of Colonizer/builder given by authorised officer .....
- (ii) Details of place of construction .....
- (iii) Permission of competent authority for construction .....
- (iv) Numbers of building/apartment .....

- (v) Name of minor minerals to be used .....
- (vi) Estimated quantity of minor mineral to be used (in cubic meter)
- a. Sand
- b. Stone
- c. Murrum
- d. Gitti
- e. Others
- (vii) Any other details .....

**Signature of the Applicant**

**Name**

**Address**

**FORM-5**  
(see rule 11)

**Register of application for mineral dealer licence**

1. Serial No. ....
2. Date of application of licence .....
3. Date of receipt of application .....
4. Name of the applicant with full address .....
5. Name of mineral/product applied for .....
6. Period for which grant/renewal of licence is applied .....
7. Application fee paid vide challan No. .... date .....
8. Purpose of obtaining licence .....
9. Final disposal of the application together with number and date of the order .....
10. Signature of the authorised officer .....

**FORM-6**  
[see rule 13(1)]

**Mineral Dealer Licene**

**Officer of the Collector**  
**District ..... (Madhya Pradesh)**

No. .... Date .....

Mineral dealer licence is hereby granted under the Madhya Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022 in favour of Shri ..... resident of ..... for stocking the following Mineral (s)/Products for following purpose for the period commencing from ..... to .....

**Mineral(s)/Products .....**

1. For trading - location of stock yard
2. For use in industry - place of industry
3. For government construction - place of construction
4. for use in residential colony/multi apartment - place of construction

Licensing Authority

Name

Designation

Seal of Office

**FORM-7**  
(see rule 15)

**Register of mineral dealer licence**

1. Serial number .....
2. Name of licensee .....
3. Full address .....
4. Name of Mineral(s)/Products .....
5. Location of stockyard/place of industry/place of government construction/place of residential colony/multi apartment .....
6. Number and date of grant/renewal of licence .....
7. Period of Licence .....
8. Remarks .....
9. Signature of the authorised officer .....

**FORM-8**  
[see rule 17(i)]

**Stock register to be maintained by mineral dealer licensee**

1. Name and Address of holder of licence .....
2. Location of stockyard/place of industry/place of government construction/place of residential colony/multi apartment .....
3. Name of Mineral(s)/Product
  - (i)
  - (ii)
  - (iii)
  - (iv)
  - (a) Serial Number
  - (b) Date
  - (c) Name of Mineral Opening balance  
(in tonnes/cubic meter)
    - 1.
    - 2.
    - 3.
  - (d) Name of Minerals Quantity of Mineral received  
(in tonnes/cubic meter)
    - 1.
    - 2.
    - 3.
  - (e) Name of the party from which the mineral is obtained Name of the Mineral Quantity  
(in tonnes/cubic meter)
  - (f) Transit passbooks used to transport the mineral(s)/products to stockyard - Book No., Serial No. ...., Date .....
  - (g) Name of Minerals Total Stock  
(in tonnes/cubic meter)
    - 1.
    - 2.
    - 3.

- (h) Quantity of mineral dispatched from stockyard/used in government construction/used in construction of residential colony/multi apartment.

Name of Mineral	Quantity of Mineral (in tonnes/cubic meter)
-----------------	--

1.

2.

3.

- (i) Name of party to whom mineral was sold .....

- (j) Transit passbooks used to transport the minerals from the stockyard - Enter Book No., Serial No. ...., Date .....

- (k) Closing stock ..... (in tonnes/cubic meter)

- (l) Remarks .....

**FORM-9**  
[see rule 17(ii)]

**Form of quarterly return for mineral dealer licensee**

Return for the quarter

(To be furnish upto 10<sup>th</sup> day of ensuing month after the end of quarter)

1. Name of licensee .....
  2. Address of licensee .....
  3. No. of licence .....
  4. Period of licence from ..... to .....
  5. Location of stockyard/government construction/residential colony/multi apartment .....
  6. Name of mineral(s)/products for which licence is granted .....
- (a) Name of mineral
1. ....
  2. ....
  3. ....
- (b) Opening stock
- | Name of Mineral | Quantity (in tonnes/cubic meter) |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. ....         |                                  |
| 2. ....         |                                  |
| 3. ....         |                                  |
| 4. ....         |                                  |
- (c) Quantity of mineral received
- | Name of Mineral | Quantity<br>(tonnes/cubic meter) | Name and Address of<br>party by whom received |
|-----------------|----------------------------------|---|
| 1. ....         |                                  |   |
| 2. ....         |                                  |   |
| 3. ....         |                                  |   |
- (d) Used/Mineral dispatched
- | Name of Mineral | Quantity (in tonnes/cubic meter) |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. ....         |                                  |
| 2. ....         |                                  |
| 3. ....         |                                  |
- (e) Balance of stock at the end of the month
- | Name of Mineral | Quantity (in tonnes/cubic meter) |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. ....         |                                  |
| 2. ....         |                                  |
| 3. ....         |                                  |

Date .....

Place .....

Signature of Licensee

**FORM-10**

[see rule 27(1) and 28(1)]

**Application for appeal/revision**

(To be submitted in duplicate)

1. Name and address of applicant .....
2. Caste of the applicant (If the applicant is a member of the Scheduled Tribe/Scheduled Caste/Other Backward Classes, then enclose the certified copy of caste certificate) .....
3. Name of authority, Number and date of order against which the appeal/revision applications is filed. (enclose certified copy of the order) .....
4. Grounds of appeal/revision .....
5. Appeal/Revision Fee - number and date of treasury challan (enclose original treasury challan) .....
6. If any penalty is impose then amount of penalty in rupees .....
7. Challan and date of deposition of 10 per cent of imposed penalty .....
8. In case the application of appeal/revision preferred after sixty days of the communication of the order, the reason of delay .....
9. Any additional information the applicant desires to furnish .....

Date

Place

Signature of Applicant

Name of Applicant

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव.